मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक**/I/850177/2026/26-2** भोपाल, दिनांक**27-02-2026**

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- डी.डी.आर.सीएवं वरिष्ठ आश्रमों के कर्मचारियों को मासिक मानदेय का भुगतान जिला स्तर पर समय-सीमा में करने के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक **/490/1901368/2024/26-2** दिनांक **04.03.2024** एवं पत्र क्रमांक**/599/1387282 /26-2** दिनांक **26.03.2024**

---00---

प्रायः यह देखा जा रहा है कि, जिलों में संचालित **DDRC (District Disability Rehabilitation Centre)** एवं वरिष्ठ आश्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक मानदेय, वरिष्ठ आश्रम में निवासरत वरिष्ठजनों हेतु निर्धारित भरण-पोषण के देयकों की स्वीकृति हेतु ई.पी.ओ. **(EPO)** प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों को मानदेय समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में भी संदर्भित पत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

उल्लेखनीय है कि संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, पात्रता एवं पदस्थापना संबंधी अभिलेख जिला स्तर व संस्था स्तर पर उपलब्ध रहते हैं। अत: डीडीआरसी एवं वरिष्ठ आश्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय, निवासरत वरिष्ठजनों का भरण-पोषण एवं डीडीआरसी व वरिष्ठ आश्रम के संचालन हेतु प्रतिमाह निराश्रित निधि की ब्याज राशि से भुगतान निम्नानुसार कार्यवाही करते हुये सुनिश्चित किया जाये :—

1. समस्त डीडीआरसी व वरिष्ठ आश्रमों को विभागीय पोर्टल **(socialjustice.mp.gov.in)** पर **onboard** कराया जाये।
2. डीडीआरसी/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर प्रतिमाह अपडेट रहें यह सुनिश्चित किया जाये।
3. वरिष्ठ आश्रम में निवासरत वरिष्ठजनों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर प्रतिमाह अपडेट रहें यह सुनिश्चित किया जाये।
4. डीडीआरसी/वरिष्ठ आश्रम के कर्मचारियों की सार्थक एप्प पर उपस्थिति की समीक्षा कर

माह में सार्थक एप्प पर दर्ज उपस्थिति की संख्या के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाये।

5. सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह मोबाइल एप्प के माध्यम से डीडीआरसी/ वरिष्ठ आश्रम / अशासकीय संस्था का निरीक्षण अनिवार्यत: किया जाये। ग्रेड **C** एवं **D** प्राप्त संस्थाओं को प्रतिमाह स्पष्टीकरण जारी किया जाये व यदि सतत् **3** माह तक ग्रेडिंग में सुधार नहीं होता है तो डीडीआरसी के कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये व वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाये, वरिष्ठ आश्रम की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाये।

6. प्रतिमाह मानेदय/भरण-पोषण एवं संचालन हेतु राशि का मांग पत्र डीडीआरसी/वरिष् ठ आश्रम द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन अनिवार्यत: की जाये।

7. प्रतिमाह डीडीआरसी/वरिष्ठ आश्रम के कर्मचारियों का मानदेय, भरण-पोषण एवं संस्था के संचालन हेतु राशि का भुगतान निराश्रित निधि में उपलब्ध ब्याज की राशि से किया जाये। यदि राशि रू. **2.00** लाख से अधिक है तो जिला स्तर पर ही **2** पृथक-पृथक ई.पी.ओ. ब्याज राशि से बनाकर भुगतान जिला स्तर से ही किया जाये। किसी भी परिस्थिति में ई.पी.ओ. संचालनालय को प्रेषित नहीं किया जाये।

8. जिला अधिकारियों द्वारा डीडीआरसी एवं वरिष्ठ आश्रम में कार्यरत कर्मचारियों, भरण-पोषण एवं संचालन में होने वाले वार्षिक संभावित व्यय की गणना कर वित्तीय वर्ष **2026-27** हेतु ब्याज की राशि के आंवटन हेतु मांग पत्र **15** मार्च **2026** तक संचालनालय को अनिवार्यत: प्रेषित किया जाये। ब्याज राशि कम होने पर शेष माह हेतु मांग पत्र संचालनालय को **2** माह पूर्व ही प्रेषित कर दिया जाये।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर प्रतिमाह की **5** तारीख तक मानदेय, भरण-पोषण एवं संचालन हेतु राशि का भुगतान निराश्रित निधि की ब्याज राशि से जिला स्तर से ही सुनिश्चित किया जाये। विलंब अथवा अनियमितता की स्थिति में जिले के संयुक्त/उप/सहायक संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिम्मेदार होंगे।

Digitally signed by
ANKITA DHAKRE
Date: 27-02-2026
13:01:41

(अंकिता धाकरे)
उप सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पृष्ठां.क्रमांक**I/850177/2026/26-2** भोपाल, दिनांक**27-02-2026**

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश-आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अभिलेख हेतु।

उप सचिव

म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग